गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक........ सेक्टर 4 दिनांक 10/6/16

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मेसर्स [illegible] लाइफ [illegible]

श्री अनूप सर्राफ

ताल रामगढ़ - गोरखपुर

आपके पत्र दिनांक 03/07/15 मानचित्र सं० 938/15 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित [illegible] भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी ताल रामगढ़ भूखण्ड/भवन सं० 1023/2014 [illegible] 349/15 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है । स्वीकृत मानचित्र संलग्न है ।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैद्य है ।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभावन नहीं होगा ।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा । विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है ।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा ।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे ।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा ।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 40 पेड़ लगाना अनिवार्य है । स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है । भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें ।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे । इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा ।
11. दरवाजें वा खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों ।
12. बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा ।
14. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी ।
15. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये [illegible] की भूमि पर करें ।
16. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा ।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 20/11/2[illegible] का पालन करना होगा ।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति ।

प्रस्तुत मानचित्र शासनादेश संख्या-129 (1)/8 [illegible] 2014 विविध/13 टी0सी0 [illegible] 2014 शहरी आवास नियोजन अनुभाग-3 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-7065/2014 में पारित होने वाले आदेश के अधीन स्वीकृत/निर्गत किया जा रहा है।

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

पत्रांक - 1377/गो0वि0प्रा0/2019-20

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

सेवा में,

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन),
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,
लखनऊ-226007

दिनांकः- 05/10/2019

विषयः-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ0प्र0 रेरा) में परियोजना (नाम) Palm Paradise Phase-II जनपद-गोरखपुर आवेदन आई0डी0 नं0-ID20611 के पंजीयन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय ई-मेल दिनांक 03.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मे0 ऐश्प्रा लाइफ स्पेस्स, जनपद- गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाइज फेज-II का रेरा अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन, आई0 डी0 नं0- ID20611 में सलग्न अभिलेखों का परीक्षण प्राधिकरण स्तर पर किया गया।

मे0 ऐश्प्रा लाईफ स्पेस्स, गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाइज फेज-II द्वारा स्वीकृत ले-आउट दिनांक 10.01.2019 व सचिव महोदय के कायदिश पत्रांक 903/गो0वि0प्रा0/2018-19 दिनांक 14.01.2019 तथा ग्रुप हउसिंग (4 ब्लाक) का स्वीकृत मानचित्र सं0-938/15 व मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र दिनांक 10.06.2016 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया है।

05/10/2019

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

1) सचिव महोदय,गो0वि0प्रा0 को सादर सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।